रामचंद्र। पवनसुत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 4456–दो/2013 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
30–4–2014	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 13.9.2013 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि प्रकरण में मूल आदेश नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 23.7.2010 को पारित किया गया है । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(1) प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है, उक्त अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13.8.2012 को आदेश पारित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44(2) के अंतर्गत द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13.9.2013 को आदेश पारित किया गया है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह तृतीय अपील प्रस्तुत की गई है । संहिता की धारा 44 में तृतीय अपील का प्रावधान नहीं है । अतः प्रथम दृष्टया यह अपील विधि के प्रावधानों के विपरित प्रस्तुत किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	

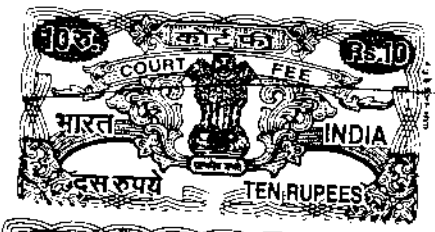

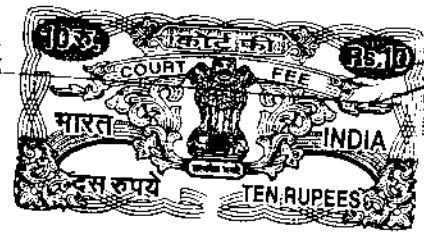

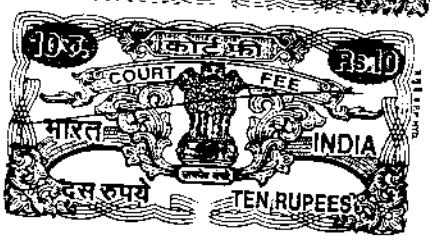

अपील कमांक : ...../2013

पेशी दिनांक : .....

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल बोर्ड इन्दौर (म.प्र.)

रामचन्द्र पिता श्री रातनलाल
निवासी– ग्राम राउ, जिला इन्दौर

---अपीलार्थी

विरूद्ध

पवनसुत गृह निर्माण सहकारी संस्था
तर्फे अध्यक्ष सुभाष जोशी पिता राधेश्याम जोशी
निवासी– – 3461, सेक्टर–ई, सुदामा नगर,
इन्दौर

---रेस्पान्डेन्ट

अपील अतंर्गत धारा 44 म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959

महोदय,

माननीय न्यायालय अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के प्रकरण कमांक 424/2011–12 अपील के आदेश दिनांक 13.09.2013 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत कर रहे है :–